03/2017 नरपतसिंह / ग्रा.पं. सिणधरी केशर

31.5.17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे पंचायत मुख्यालय सिणधरी चारणान मे पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होने हेतु जारी उतरदातागण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई है। जो शामिल मिसल हो। उतरदातागण बावजुद सुचना के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया,कि ग्राम नाकोड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 92/11 व 92/6 कुल रकबा 40 व खसरा संख्या 158 व 163 कुल रकबा 113–03 बीधा भूमि आई हुई है। जिसके अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.1 से 18 सहखतेदार है। विवादित भूमि के तत्कालीन सहखातेदार अपीलाण्ट के पिता देरामा के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण स.350 मे अपीलाण्ट का सही नाम नरपतसिह के स्थान पर गलत नाम केशरसिह दायर किया गया। जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड मे उक्त प्रविष्टि चली आ रही है। जबकी अपीलाण्ट का वास्तविक नाम नरपतसिह पुत्र देरामसिह है। अतःअपीलाण्ट का सही नाम नरपतसिह पुत्र देरामसिह दायर किया जावे।

हमने वकील अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो एव तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार देरामसिह वल्द गुमानसिह के दो पुत्र है–एक नरपतसिह व दुसरा बाबुसिह है।नरपतसिह व केशरसिह एक ही व्यक्ति है। केशरसिह वल्द देरामसिह कोई व्यक्ति नही है। अपीलाण्ट का वास्तविक नाम नरपतसिह दर्ज करने की अभिशषां की गई है। व पत्रावली के सलंग्न दसतावेजी साक्ष्य यथा–परिवार राशनकार्ड प्रति,शिक्षा विभाग पंचायत समिति सिणधरी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा दिनांक 29.12.86 प्रति,वोटरकार्ड प्रति व आधारकार्ड प्रति मे नरपतसिह नाम से जारी हो रखे है। इससे प्रमाणित होता है। कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम नरपतसिह पुत्र देरामसिह है। एवं मजमे आम मे भी पुछताछ करने पर अपीलाण्ट का वास्तविक नाम नरपतसिह होना पाया गया है।

लिहाजा अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार करते हुए ग्राम नाकोड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 92/11 व 92/6 कुल

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

सेवार्थ,

रकबा 40 व खसरा संख्या 158 व 163 कुल रकबा 113–03 बीधा भूमि के राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) मे **अंकित गलत प्रविष्टि केशरसिह वल्द देरामसिह के स्थान पर सही नाम नरपतसिह वल्द देरामसिह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष बदुस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। किसी सरकारी संस्था/गैर सरकारी संस्था से किसी प्रकार का ऋण इत्यादि बकाया होने पर प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा।

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 12/6/17
उपखण्ड अधिकारी, सि

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(हस्ताक्षर) 31/5/17
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner